उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 06 फाल्गुन, शक संवत्, 1930
(दिनांक : 25 फरवरी, 2009)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (दिखिए नत्थी **"क" तथा "ख"**)।

2. निधन के निदेश।

3. मुख्यमंत्री, कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619- A (2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 की धारा 131(1) के अन्तर्गत निर्गत की गयी अधिसूचना संख्या- 843/XIV-1/2008, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तराखण्ड विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का आठवां अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का नवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का दसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2009 का पहला अधिनियम बन गया।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम पंचायत कूल्हा विकास खण्ड गदरपुर में मण्डी परिषद द्वारा निर्मित ललपुरी मेन रोड से मझरा भूप सिंह (मरघटाई) रेलवे लाईन तक 2 किलोमीटर एवं श्री रामपुर मदपुरी मेन रोड से लालपुरी होते हुए रेलवे लाईन तक 2 किलोमीटर तथा श्री रामपुर मदपुरी से लच्छी भट्भोज तक मार्ग सुधारीकण के संबंध में" श्री कमल सिंह शाह, पुत्र श्री जय सिंह निवासी- ग्राम ललपुरी, पो0 गूलरभोज, जनपद- उधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा, "भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद- हरिद्वार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के संबंध में" श्री राव अथर खां पुत्र असगर खां निवासी, उप प्रधान सिकरोठा, जनपद- हरिद्वार एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

10. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

12. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

13. श्री केदार सिंह फोनिया निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

    ''यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है''

    श्री जोगा राम टम्टा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
    (प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ग"**)

(समय : अपराह्न 4:00 बजे)।

14. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे।

15. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 25 फरवरी, 2009

(महेश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2009
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 06 फाल्गुन, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 25 फरवरी, 2009)

नत्थी "क"

<u>उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न</u>

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 10–10–2008	*1.	क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ी नदियों के तट एवं तलों पर 'बायोमास' पैदा करने की कोई योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री प्रेमानन्द महाजन 27.01.2009	*1. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला–ऊधमसिंह नगर स्थित बेगुल डाम, धोरा डाम, नानक सागर, बौर एवं हरिपुरा जलाशय, तुमड़िया डैम बनवाने हेतु कितने एकड़ कृषि व वन भूमि अधिगृहित की गई थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जलाशय निर्माण के बाद शेष वन व कृषि भूमि उनके मूल विभागों को कितने–कितने एकड़ भूमि वापस की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**
श्री प्रीतम सिंह 27.01.2009 श्री पुष्पेश त्रिपाठी 30.01.2009	*2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दो वर्षो में वन विभाग द्वारा प्रदेश में कहॉ–कहॉ किन–किन प्रजातियों के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया? क्या प्रजातियों का चयन स्थानीय वातावरण की अनुकूलता तथा पर्यावर्णीय सन्तुलन के दृष्टिगत किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 28.01.2009	*3. क्या वन मंत्री अवगत है कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से मवाकोट तक वनमार्ग का निर्माण ई0 पी0 आई0 संस्था द्वारा लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं कराया गया? क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था को उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किया जा चुका था? यदि हॉ, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त वन मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 28.01.2009	*4. क्या वन मंत्री अवगत है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी जनपद के कोटद्वार एवं धुमाकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यदि हॉ, तो क्या सरकार पौड़ी जनपद में पर्यटन विकास हेतु पौड़ी–कोटद्वार से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार खोलने पर विचार करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 28.01.2009	*5. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि पॉलिथीन के बढ़ते प्रयोग के कारण राज्य का पर्यावरण निरन्तर प्रभावित हो रहा है? यदि हॉ, तो क्या सरकार स्वच्छ पर्यावरण हेतु वनों को संरक्षित करने एवं प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिये कोई कानून/नियम बनायेगी? यदि हॉ तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पर्यावरण**

श्री सुरेन्द्र राकेश 29.01.2009	***6.** क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत है कि उत्तखण्ड के हरिद्वार जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा रसायनयुक्त दूषित पानी ट्रीटमेन्ट किये बिना बोरिंग क्ले बनाकर जमीन के भीतर डाला जा रहा है? यदि हॉ तो क्या सरकार ऐसी औद्योगिक इकाईयों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?	**वन एवं पर्यावरण**
श्री सुरेन्द्र राकेश 30.01.2009	***7.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनदेश संख्या– 413/IX/61(परि)/2002/2006, दि0 2 जून, 2006 द्वारा मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सरकारी वाहन के टाप पर लाल बत्ती अनुमन्य की गई है ? यदि हॉ, तो क्या यह सही है कि वर्ष, 2001 में मुख्य सचिव द्वारा किसी भी अधिकारी द्वारा लाल अथवा नीली बत्ती के उपयोग पर रोक लगायी गयी थी ? यदि हॉ, तो वे कौन सी अपरिहार्य तथा अनिवार्य आवश्यकताऐं अनुभव की गई कि विधायकों की अनदेखी करते हुए उक्त अधिकारियों के सरकारी वाहनों के टाप पर लाल बत्ती अनुमन्य की गई?	**परिवहन**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 30.01.2009	***8.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वैच्छिक वृक्षारोपण कर रहे व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रोत्साहित और सहायता देने के लिये विभाग की कोई नीति विद्यमान है ? यदि हॉ, तो उस नीति का प्रारूप क्या है?	**वन**
श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 02.02.2009	***9.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कालूवाला, जौली, सोससरोली, कुड़ियाल, रामनगर, डाण्डा, थानों कोटिमेचक, सूर्यधार आदि गांवो में जंगली हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुचाया जा रहा है ? यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हॉ तो उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
हाजी तसलीम अहमद 02.02.2009	***10.** क्या वन मंत्री बतने का कष्ट करेगें कि जिला हरिद्वार में जंगली जानवरों द्वारा जान माल की बढती घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा लालढांग वन रेंज में जंगली जानवरों को जंगल में ही रोकने के लिए पूर्व में सोलर फेंसिग तारबाड़ लगायी गयी है ? यदि हॉ तो क्या जनहित में सरकार अन्य प्रभावित गॉवों की रेंज में भी सोलर फेंसिग तारबाड़ लगाने पर विचार करेगी ? यदि हॉ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री किशोर उपाध्याय 02.02.2009	***11.** क्या सिचाई मंत्री अवगत हैं कि भगीरथी नदी में निरंतर जलस्तर कम होता जा रहा है? यदि हॉ तो नदी में जलस्तर वृद्धि हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**

श्री किशोर उपाध्याय 02.02.2009	*12. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विभिन्न विकास योजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापितों एवं प्रभावितों हेतु सरकार पुनर्वास नीति बना रही है। यदि हॉ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?	**द्वितीय सोम0 के तारा0 13 में स्था0**
श्री किशोर उपाध्याय 03.02.2009	*13. क्या सिंचाई मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेगें कि राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों में निरन्तर जलस्राव की कमी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?	**स्थगित**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 03.02.2009	*14. क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के कफड़ा ग्राम सभा के अन्तर्गत 5 हेक्टअर से अधिक भूमि में यूकेलिप्टिस के वृक्षों का भारी वन क्षेत्र होने के कारण उस पूरे क्षेत्र का पानी सूख चुका है? क्या सरकार इन वृक्षों को काटकर चौड़ी पत्ते वाले वृक्षों को लगाने पर विभाग द्वारा कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?	**वन**
श्री केदार सिंह रावत 03.02.2009	*15. क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि टिहरी बॉध झील के कारण प्रभावित क्षेत्रों को अवस्थापना विकास, यातायात की सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं तथा झील के पश्चातगामी प्रभावों के कारण मुआवजों के निस्तारण हेतु, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है व धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है? यदि हॉ तो, राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के चिन्याली विकास खण्ड के किन–किन अवस्थापनाओं, पुलों व परिसम्पत्तियों के मामले की रिपोर्ट तैयार कर भेजी गयी है/ भेजी जा रही है? क्या इनमें चिन्याली, सुनारगांव मोटर पुल तथा पश्चातगामी प्रभावित परिसम्पत्तियों का मुआवजा शामिल है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त हेतु केन्द्र सरकार से कितने धन की मांग की गई है?	**सिंचाई**
श्री ओम गोपाल रावत 03.02.2009	*16. क्या वन मंत्री अवगत है कि विधान सभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जंगली जानवर ग्रामीण किसानों की खेती को तहस नहस कर रहे है जिस कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है? क्या मंत्री जी जंगली जानवरों से किसानों की उपज को बचाने हेतु सौर ऊर्जा तार–बाड़ चकबन्दी की व्यवस्था करायेगें?यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही तो क्यों?	**वन**
श्री दिनेश अग्रवाल 04.02.2009	*17 क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के किन–किन क्षेत्रों के लिए सिवरेज की कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयी है और कितनी–कितनी धनरराशि इन योजनाओं के लिए स्वीकृत की गयी है? क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कब तक कार्यवाही की जायेगी? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रखेगी?	**पेयजल**

श्री प्रीतम सिंह
06.02.2009

***18.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि का गठन किया गया है? यदि हॉ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत
03–11–2008

1. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के तृतीय चरण के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6412 दिनांक 2/5/08, पत्रांक 841 दिनांक 30/5/08 तथा पत्रांक 8019 दिनांक 10/7/08 पर शासन स्तर से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा? क्या यह भी सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टाखाल ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6411 दिनांक 2/5/08,पत्रांक 5909 दिनांक 17/3/08 और सचिव मुख्यमंत्री के पत्रांक GE/ 24942 / XXXV–1/2007(1) दिनांक 19/11/07 के सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा?

पेयजल

अतारांकित प्रश्न

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 27.01.2009	1.	क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के मालन, सुखरौ तथा खो नदी द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि का कटाव हो रहा है? क्या यह सत्य है कि नदी से सटे हुये कई गांवों में बाढ़ का खतरा प्रत्येक बरसात में बना रहता है जिसके फलस्वरूप जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका व भय व्याप्त रहता है? यदि हॉ, तो क्या सरकार इस सन्दर्भ में कोई त्वरित कार्यवाही करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 27.01.2009	2.	क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालन नदी पर कण्वाश्रम के समीप, खो नदी पर सिद्धबली मन्दिर के समीप, सिगड्डी में हाथीकुण्ड तथा सुखरो नदी पर 4 बहुउद्देशीय जलाशय बनाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या सिंचाई विभाग द्वारा इन योजनाओं के प्रारम्भिक अन्वेषण योजना हेतु शासन से 28.00 लाख रू0 की मांग की गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा योजना अन्वेषण हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 27.01.2009	3.	क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पदमपुर सुखरौ स्थित पेयजल नलकूप का जलस्तर पूरी तरह से सूख चुका है ? यदि हॉ, तो क्या सरकार पूर्णरूप से सूख चुके उक्त पेयजल नलकूप के निस्तारण हेतु पुनः इसके छिद्रण कार्य सम्बन्धी योजना पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 30.01.2009	4.	क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल विकास निगम द्वारा झण्डीचौड़ उत्तरी व नन्दपुर में दो नलकूपों का निर्माण किया गया है ? क्या यह सत्य है कि इन योजनाओं में ओवर हेड टैंको का निर्माण नही हुआ है तथा पाइप लाईन अन्डर साइज होने के कारण इनका लाभ आम जनता तक नही मिल पा रहा है? यदि हॉ, तो सरकार कब तक इन नलकूपों में ओवर हैड टैकों का निर्माण कर योजना को पूर्णतया शुरू करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 30.01.2009	5.	क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के कालागढ़ क्षेत्र में जंगली बन्दरों द्वारा आंतक फैलाया जा रहा है जिससे बन्दरों के उत्पात के कारण स्थानीय लोगो को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हॉ, तो क्या सरकार इन बन्दरों के आंतक से स्थानीय लोगो को बचाने हेतु क्या कार्रवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

श्री पुष्पेश त्रिपाठी 30.01.2009	**6**. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक बांज , बुरांश , उतीस , देवदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है ? यदि हॉ तो अल्मोड़ा जनपद में मार्च, 2005 से अब तक कितने ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण विभाग द्वारा किया गया ?यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री राजेश जुवांठा 30.01.2009	**7**. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगांव में कितनी ऐसी पेयजल योजनाऐं है, जिनमे जलापूर्ति नियमित रूप से चल रही है, और कौन–2 सी ऐसी योजनाऐं है जो बन्द पड़ी है ?	**पेयजल**
श्री राजेश जुवांठा 30.01.2009	**8**. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन अधिनियम 1980 के लागू होने से पूर्व कृषकों को वन भूमि कृषि प्रयोजन हेतु लीज पर दी गई थी ? क्या सरकार उस लीज की समय अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वन एवं पर्यावरण**
श्री राजेश जुवांठा 30.01.2009	**9**. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुरोला विधान सभा क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी में कितने अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्रों के कितने गॉवो को स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के तहत पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है व कितने ऐसे अनु0 जाति बाहुल्य गॉव है जो अभी तक पेयजल सुविधा से वंचित है? क्या सरकार ऐसे गॉवो को पेयजल से जोडने के लिए विचार कर रही है ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	**पेयजल**
श्री हरक सिंह रावत 02.02.2009	**10**. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत लगभग 100 ग्रामों हेतु 32 करोड़ की भैरवगढ़ी पंम्पिग पेयजल योजना शासन से स्वीकृत हुयी थी ? क्या इस योजना में 1 करोड़ रूपये की धनराशि टोकन मनी के रूप में जारी हुयी थी ? क्या विभाग द्वारा योजना में लैन्सडौन व उसके आसपास के गॉवों को सम्मिलित करने के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजे गये थे ? यदि हॉ तो क्या इन गॉवो को सम्मिलित कर लिया गया है? यदि नही तो क्यो ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगे कि दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक उक्त योजना का कार्य प्राराम्भ न किये जाने के क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य पर जल निगम लगभग 17–18 लाख रूपये खर्च भी कर चुका है?यदि हॉ तो क्या सरकार इस योजना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करायेगी? यदि हॉ तो कब तक, यदि नही, तो क्यों ?	**पेयजल**
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 03.02.2009	**11.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश नगर में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हॉं, तो सरकार द्वारा कब तक उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?	**द्वितीय गुरू0 के अता0 9 में स्था0**

श्री राजेश जुवांठा 03.02.2009	**12.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में देहरादून से विकास नगर होते हुए गड़ोली गंगताडी तक रोडवेज बस सेवा संचालित करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**परिवहन**
श्री चन्दन राम दास 03.02.2009	**13.** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि छोटी – बड़ी नदियों में पानी रोक कर छोटी छोटी झीलों के माध्यम से सिंचाई की योजना कर रहे है? यदि हॉ तो जनपद बागेश्वर में भी इसी प्रकार की योजनाऐं प्रस्तावित है? यदि हॉ तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं तो क्यो?	**सिंचाई**
श्री प्रीतम सिंह 03.02.2009	**14.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक ड्राइविंग लाइसेन्स उपलब्ध कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री केदार सिंह रावत 03.02.2009	**15.** क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि जानकी चट्टी, यमनोत्री धाम के मुख्य यात्रा पड़ाव तक वर्ष 2000 में हल्का वाहन मार्ग बन गया था ? यदि हॉ तो 9 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी जानकी चट्टी तक मोटर गाड़ी पहुॅच न पाने के क्या कारण है? कब तक उक्त स्थान तक मोटर गाड़ियों का आवागमन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?	**परिवहन**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 03.02.2009	**16.** क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत कोटद्वार शहर का सीवरेज प्लान कई दिनों से शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है? यदि हॉ, तो सरकार कब तक प्लान को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री मयूखमहर 04.02.2009	**17.** क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि विधान सभा कनालीछीना में जनपद पिथौरागढ़, नारायण नगर हेतु पूर्व में लधड़ा नारायण नगर पेयजल योजना स्वीकृत थी किन्तु उस योजना पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हॉ, तो क्या सरकार नारायण नगर हेतु उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करवायेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 04.02.2009	**18.** क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार शहर अवागमन एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है? क्या यह सत्य है कि यहॉ से संचालित की जाने वाली बसे साधारण श्रेणी की है? यदि हॉ, तो क्या सरकार कोटद्वार दिल्ली एवं कोटद्वार देहरादून मार्गो पर डीलक्स/हाइटेक/ वाल्वो बसें संचालित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 05.02.2009	**19.** क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रमेशनगर सीवरेज योजना शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है? यदि हॉ, तो सरकार कब तक इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करवाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**पेयजल**

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 05.02.2009	**20.** क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तेलीसोत सुरक्षा दीवार निर्माण की योजना शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है ? यदि हॉ, तो सरकार कब तक इस योजना को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री राजेश जुवांठा 05.02.2009	**21.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार देहरादून से विकासनगर मिनस होते हुए त्यूनी–चिवा तक रोडवेज बस का सचांलन करने पर विचार कर रही है ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**परिवहन**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05.02.2009	**22.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2007 से अब तक कुल कितनी बसों की खरीद परिवहन निगम द्वारा की गई है एवं क्रय की गई बसों में से कितनी नई बसें पर्वतीय मार्गो को चिन्हित कर चलाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**परिवहन**
श्री ओम गोपाल रावत 06.02.2009	**23.** क्या वन मंत्री अवगत है कि दिनांक 06, 07 दिसम्बर, 2008 की रात्रि को ग्राम सभा ढालवाला में जंगली हाथी ने घुसकर रात भर घोर उत्पात मचाया जिससे रातभर लोग जीवन भय के कारण सो नहीं सके तथा भयाक्रान्त रहे ? क्या मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है कि जंगली जानवरों से जनजीवन की रक्षा के लिए गॉव के चारों ओर जो ऊर्जा बाड़ विछायी गयी है उसमें करन्ट न होने के कारण वह निष्क्रिय पड़ी है ? क्या सरकार कार्य में लापरवाही बरतने हेतु तथा जनजीवन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?	**वन**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 06.02.2009	**24.** क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि अस्थायी राजधानी देहरादून होने के कारण कुमाऊॅ मण्डल के अन्तर्गत जनपद–अल्मोड़ा के विकासखण्ड स्यालदे के विभिन्न स्थानों से नित्य प्रति कई लोग देहरादून आते जाते रहते हैं ? यदि हॉ, तो क्या सरकार देहरादून से रामनगर होते हुए भिक्यासैण–स्यालदे–देघाट तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा नियमित रूप से प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**परिवहन**
हाजी तसलीम अहमद 02.02.2009	**25.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम संराय, इब्राहिमपुर, जमालपुर, कटारपुर, मिस्सरपुर पंजनहेडी भगतनपुर आबिदपुर में सिचाई के लिए गंग नहर से निकाली गयी कच्ची माईनरो में पानी के अपव्यय को रोकने के लिए क्या सिचाई विभाग द्वारा पक्की माईनरो का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	**सिंचाई**

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
02.02.2009

26. क्या सिचाई मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अर्न्तगत विवेकानन्द ग्राम फेज 2 नत्थनपुर स्ट्रीट न0–4 में गूल का पानी सड़क पर बहता रहता है जिसके फलस्वरूप डामरीकरण सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हॉ, तो क्या सरकार सड़क में बहते हुये पानी को रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ग"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम

1. डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री दिनेश अग्रवाल,
3. श्री जोत सिंह गुनसोला,
4. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियान"
5. श्री केदार सिंह रावत,
6. श्री राजेश जुंवाठा,
7. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
8. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
9. श्री गोपाल सिंह राणा,
10. श्री यशपाल आर्य,
11. श्री प्रीतम सिंह,
12. श्री करन माहरा,
13. श्री मनोज तिवारी,
14. श्री रणजीत रावत,
15. श्री तिलक राज बेहड़,
16. श्री मयूख महर,
17. श्री किशोर उपाध्याय।

संशोधन का रूप

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-
"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. कुम्भ मेले की तैयारियों का कोई उल्लेख नहीं है,
2. सूखे से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने के उपायों का उल्लेख नहीं है,
3. योग विषय को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाकर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,
4. वृद्ध/विधवा/विकलांगों की पेंशन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है,
5. प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है,
6. 'चारधाम यात्रा' के लिए क्या योजनाएं हैं, का उल्लेख नहीं है,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है,
8. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार की अपार संभावनायें है, का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है,
9. स्वास्थ्य उपकेन्द्रो में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,
10. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी भी रू0 3200-4900 का वेतनमान दिया जा रहा है अन्य राज्यों में यह रू0 4500-7000 है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है,
11. एन0टी0टी0 प्रशिक्षित युवतियां पिछले 15 माह से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही हैं, किन्तु प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है,

12. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने का जिक्र नहीं है,
13. 'सैफ गेम्स' की तैयारियों के संबंध में तैयारियों का उल्लेख नही है,
14. परिवहन निगम की दशा दयनीय बनी हुई है, नई बसों की खरीद का कोई उल्लेख नहीं है,
15. नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं का उल्लेख नहीं है,
16. नये विद्यालयों का सृजन एवं उच्चीकरण का उल्लेख नहीं है,
17. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का उल्लेख नहीं है,
18. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,
19. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है,
20. मदरसों के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है,
21. नये 'आश्रम पद्धति' विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है,
22. 'कर्मचारी समन्वय परिषद' के गठन का उल्लेख नहीं है,
23. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग एवं संविदा प्रवक्ताओं के समायोजन / तदर्थ नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है,
24. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष-2008 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस पर क्या प्रगति हुई, इसका उल्लेख नहीं है,
25. राज्य में दैनिक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,
26. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यो के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं, स्थानीय बेरोजगारों को सम्मिलित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है,
27. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख नहीं है,
28. राज्य के सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों की भाँति करने का उल्लेख नहीं है,
29. आंगनवाड़ी कार्य कर्तियों की पदोन्नति का कोई उल्लेख नहीं है,
30. राज्य के शिक्षा आचार्यो/ अनुदेशकों/ स्वयं सेवकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने का उल्लेख नहीं है,

31. राज्य में कार्यरत आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है,

32. मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने का उल्लेख नही है,

33. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर पद कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है,

34. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की समय सीमा का उल्लेख नहीं है,

35. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है,

36. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है,

37. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना का जिक्र नहीं है, तथा

38. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है।

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी के संबंध में निर्णय लिये जाने,

2. राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़तालों पर अंकुश लगाने, कर्मचारियों की मांगों पर विचार एवं यथाशीघ्र निराकरण किये जाने,

3. राज्य सरकार द्वारा यदा-कदा विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेने पर नियंत्रण करने,

4. राज्य की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए अनियन्त्रित नॉन प्लान खर्चों पर नियंत्रण किये जाने,

5. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने का आधुनिकीकरण किये जाने,

6. राज्य में हेरिटेज एवं 'मेडिको टूरिज्म' को बढ़ावा देने की नीति बनाये जाने,

7. राज्य के समस्त विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेन्शन का फार्म भरने के एक माह के अन्दर पेन्शन सुनिश्चित करने,

8. समस्त राज्यवासियों को पात्रता के अनुसार विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड अविलम्ब जारी किये जाने,

9. उर्दू एकेडमी का गठन किये जाने,

10. अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा देने,

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को उनकी पुत्री की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान को दोगुना किये जाने,

12. अरबी, फारसी मदरसों को समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण से हटा कर शिक्षा विभाग में सम्मिलित किये जाने,

13. विद्युत वितरण हेतु स्थापित ट्रांसफार्मरों के जल जाने के 24 घंटे के अन्दर पुनः स्थापित किये जाने,

14. विद्युत वितरण में विद्युत वोल्टेज नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार रखने,

15. औद्योगिक क्षेत्रों में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखने,

16. विश्व व्यापी मन्दी के कारण राज्य में स्थापित उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा लागू करों में छूट देने,

17. राज्य में स्थापित उद्योगों पर श्रम नीति को सख्ती से लागू करने,

18. जनपद हरिद्वार की वार्षिक जिला योजना को रू0 100 करोड़ करने,

19. जनपद हरिद्वार को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने,

20. फसलों को खराब कर रहे जंगली जानवरों (बन्दर, वनरोज) को पकड़वा कर राष्ट्रीय पार्कों में छोड़े जाने,

21. फसल की बुआई से पहले समर्थन मूल्य घोषित करने,

22. किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने,

23. सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम की हर तिमाही में मृदा परीक्षण करवा कर जांच रिपोर्ट के अनुसार फसलों हेतु उर्वरक एवं खाद की निःशुल्क सलाह दिये जाने,

24. गन्ना किसानों का गत वर्षो का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने,

25. समस्त चीनी मिलों को इथेनोल बनाने की अनुमति दिये जाने,

26. 'एग्रो फोरेस्ट्री' को विकसित करने,

27. चकबन्दी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने,

28. तीस साल से पुराने उद्यानों के काटने की अनुमति दिये जाने,
29. समस्त अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति एवं दवा उपलब्ध कराने,
30. राज्य में हैलिकाप्टर, एंबुलेन्स उपलब्ध कराने,
31. जनपद हरिद्वार मंगलौर में अग्निशमन दल स्थापित किये जाने,
32. जनपद हरिद्वार मंगलौर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
33. जनपद हरिद्वार मंगलौर में राजकीय तकनीकी संस्थान की स्थापना किये जाने,
34. जनपद हरिद्वार मंगलौर में खेल हेतु स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
35. जनपद हरिद्वार मंगलौर में वन विभाग के चीतल पार्क में एक भव्य पर्यटक स्थल बनाये जाने,
36. जनपद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने,
37. जनपद हरिद्वार के नारसन ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बिझौली से मुडलाना की ओर जाने वाले राजवाहे को पुनः संचालित करने, तथा
38. जनपद हरिद्वार मंगलौर एवं बारसन के अस्पतालों में मानकों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने।

3\. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में,
2. जनपद हरिद्वार में लगे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने के संबंध में,
3. गरीब किसान व गरीब दलितों के घरों पर निजी कनैक्शनों पर लगे विद्युत अधिभार को घटाने के संबंध में।
4. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का सही उपयोग किये जाने के संबंध में,
5. राज्य के कर्मचारियों के लिए छटा वेतन आयोग लागू किये जाने के संबंध में,
6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छूटे परिवारों का सर्वे कराने के संबंध में,
7. दलित व अनुसूचित जाति के पट्टाधारकों को उनका मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में,

8. वन अधिकार लागू किये जाने के संबंध में,
9. अल्प संख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने के संबंध में,
10. अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 2006 में हुई नियुक्ति में अध्यापकों की नई पेंशन योजना के अन्तर्गत (डी0पी0डी0खाता) कटौतियां न किये जाने के संबंध में,
11. 60 वर्ष की आयु के समस्त वृद्धों एवं विधवाओं को पेशन दिये जाने के संबंध में,
12. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लण्ढ़ौरा में एक राजकीय आई0टी0आई0 खोलने के संबंध में,
13. प्रदेश के किसानों एवं गरीब व दलित जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में,
14. उत्तराखण्ड में घरेलू विद्युत कनैक्शनों पर सरचार्ज माफ किये जाने के संबंध में,
15. अनुसूचित जाति के बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में,
16. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में,
17. मंहगाई रोकने के ठोस उपायों के संबंध में,
18. अनुसूचित जाति का कोटा 22 प्रतिशत व ओ0बी0सी0 का 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में,
19. जनपद हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में एक राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में,
20. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में जलस्तर कम होने के कारण पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प एवं सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाये जाने के संबंध में,
21. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढौरा में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
22. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर शरीफ के वार्षिक मेले को कुम्भ मेले की तरह सरकारी बजट से आयोजित किये जाने के संबंध मे, तथा
23. अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के संबंध में।

4. चौ0 यशवीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा में राजकीय बालिका इन्टर कालेज को डिग्री कालेज बनाने के संबंध में,
2. इकबालपुर विधान सभा के ग्राम डेलना में ग्राम समाज की खाली पड़ी हुई लगभग 100 बीघा जमीन में पालिटेक्निक बनाने के संबंध में,
3. हरिद्वार जनपद के कस्बा झबरेड़ा के ग्राम इकबालपुर को ब्लाक बनाने के संबंध में,
4. प्रदेश के किसानों को स्वयं की जमीन से मिट्‌टी उठाने पर रायल्टी समाप्त करने के संबंध में,
5. प्रदेश के किसानों के अत्यधिक पुराने हो चुके बागों को काटने के संबंध में,
6. प्रदेश के किसानों को गन्ने का पिछले वर्ष का अवशेष अविलम्ब भुगतान करने के संबंध में,
7. जिला हरिद्वार और उधमसिंह नगर को सूखा ग्रस्त घोषित करने के संबंध में,
8. किसानों और मजदूरों के घर पर लगे विद्युत कनेक्शनों पर वर्षों पुराना सरचार्ज समाप्त करने के संबंध में,
9. उद्योगों में स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार देने के संबंध में,
10. गरीब व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाने के संबंध में, तथा
11. उत्तराखण्ड की राजधानी की घोषणा करने के संबंध में।

5. श्री बलबीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने,
2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किया जाने,